राष्ट्रीय बागवानी मिशन
परिचालन के दिशानिर्देश

1. परिचय

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) को बागवानी क्षेत्र जिसमें फल, सब्जियां, प्रकंद एवं कंदीय फसलें, खुम्बी, मसाले, पुष्प, सुगंधीय पौधे, काजू तथा कोको शामिल हैं, के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरांचल (जिनके लिए मौजूदा बागवानी के समेकित विकास के लिए एक पृथक प्रौद्योगिकी मिशन है) को छोड़कर भारत के समस्त राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा । नारियल के विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे जो एक स्वतंत्र मिशन है । यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसमें दसवीं योजना के दौरान राज्य मिशनों को 100 प्रतिशत वित्त सहायता दी जा रही है । 11वीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता 85 प्रतिशत हो जाएगी तथा 15 प्रतिशत योगदान राज्य सरकारों का होगा ।

2. मिशन के उद्देश्य

मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

i) प्रत्येक राज्य/ क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसके विविध कृषि मौसम विशेषताओं के साथ सामंजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंध, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, बागवानी क्षेत्र की सर्वांगीण वृद्धि प्रदान करना है;

ii) बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय सृजन में सहायता करना;

iii) बागवानी विकास के लिए चल रहे अनेक तथा योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आपस में सहक्रियाशील रूप में सहयोगी बनाना तथा इन्हें दूसरे की ओर अभिमुख होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना;

iv) पारंपरिक समझ के सीवनहीन रूप से मिल जाने और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और इनका प्रसार;

v) कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के अवसरों का निर्माण करना;

3. रणनीति

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन द्वारा निम्नलिखित रणनीतियों को अंगीकृत किया जाएगा :

i) किसानों/ उत्पादकों की उचित आय को सुनिश्चित करने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वांगीण दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना जिसमें उत्पादन, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं;

ii) उत्पादन, फसल कटाई के बाद का प्रबंध और प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना;

iii) निम्नलिखित के माध्यम से क्षेत्रफल, आच्छादन तथा उत्पादकता में वृद्धिः

(क) पारंपरिक फसलों को रोपण फसलों, बागानों, अंगूर बागान, पुष्प और सब्जी बागानों के रूप में परिवर्तित करना;

(ख) उच्च–तकनीक संबंधी बागवानी खेती और उत्कृष्ट कृषि के लिए किसानों में उचित प्रौद्योगिकी का प्रसार करना ।

iv) फसल कटाई के बाद की सुविधाओं को स्थापित करने में सहायता करना जैसे पैक–हाउस, परिपक्वन चैम्बर, शीत भंडारण, नियंत्रित वायुमंडल (सी ए) भंडारण आदि, मूल्यवर्धन उत्पाद के लिए प्रसंस्करण यूनिट तथा विपणन संबंधी बुनियादी ढांचा;

v) समन्वित दृष्टिकोण अंगीकृत करना और प्रतिभागिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास के बीच सहयोग बनाना तथा एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर काम करने को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और उप–राज्य स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्रों में प्रसंस्करण और विपणन एजेंसियों को बढ़ावा देना;

vi) जहां भी उचित और व्यवहारिक हो वहां किसानों के लिए पर्याप्त आय और इनकी सहायता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) के सहकारी के माडल को प्रोत्साहित किया जाएगा;

vii) सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना ।

4. मिशन की संरचना

(I) राष्ट्रीय स्तर

(क) सामान्य परिषद

4.1 राष्ट्रीय स्तर पर माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत मिशन की एक सामान्य परिषद (जी सी) है ।

कृषि मंत्री	:	अध्यक्ष
वाणिज्य, स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, पंचायती राज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास मंत्री	:	सदस्य
कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय/विभाग के सचिव अध्यक्ष, नाबार्ड महानिदेशक, भा.कृ.अ.प.	:	सदस्य
उत्पादकों के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ (14)	:	सदस्य
मिशन के निदेशक	:	सदस्य सचिव

4.2 यह परिषद नीति तैयार करने वाला निकाय है जो मिशन को सम्पूर्ण रूप से निर्देश देगा और इसका मार्गदर्शन करेगा तथा इसकी प्रगति एवं कार्य निष्पादन की निगरानी और समीक्षा भी करेगा । सामान्य परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी ।

(ख) कार्यकारी समितिः

4.3 मिशन के कार्यकलापों को देखने तथा कार्रवाई योजना को अनुमोदित करने के लिए सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (ई.सी.) है ।

कार्यकारी समिति का गठन निम्नलिखित है :

सचिव (कृषि एवं सहकारिता)	अध्यक्ष
वाणिज्य, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय/विभाग के सचिव	सदस्य
संगठनः महानिदेशक, भा.कृ.अ.प., महानिदेशक,सी एस आई आर, अध्यक्ष, नाबार्ड; अपर सचिव (प्रभारी, बागवानी, कृषि एवं सहकारिता विभाग); अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग; बागवानी आयुक्त; अध्यक्ष, एपीडा, प्रबंध निदेशक, एन एच बी; प्रबंध निदेशक, एन सी डी सी; प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड; आयुर्वेद, योग नैचुरोपैथी यूनानी एवं सिद्धा विभाग (आयुष); अध्यक्ष, सी डी बी; कृषि विपणन सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग; संयुक्त सचिव, बागवानी में प्लास्टिक कल्चर अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय समिति।	सदस्य
तीन विशेषज्ञ (उत्पादन, फसल कटाई के बाद का प्रबंध और विपणन)	सदस्य
मिशन के निदेशक	सदस्य सचिव

4.4 कार्यकारी समिति राज्यों और घटकों को संसाधनों को पुनः आबंटित करने और स्वीकृत सब्सिडी मापदंडों के आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए सशक्त रूप से समर्थ है । कार्यकारी समिति उस परियोजना के घटकों को स्वीकृत करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है जिसके लिए मापदण्ड निर्धारित नहीं है । इन घटकों के लिए सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत के 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों के लिए लागत के 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी ।

4.5 कृषि एवं सहकारिता विभाग में बागवानी प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन को अधिशासित करने के लिए कार्यकारी समिति और सामान्य परिषद को जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी । कार्यकारी समिति विभिन्न एजेंसियों के बीच सुचारू कार्यात्मक सम्पर्क को सुनिश्चित करेगी । कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में होगी किंतु मिशन के आरंभिक चरण में दो महीने में कम से कम एक बैठक होगी।

II. राज्य स्तर

(ग) राज्य स्तर की कार्यकारी समिति

4.6 कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त या सचिव बागवानी/ कृषि की अध्यक्षता में राज्य स्तर की कार्यकारी समिति (एस एल ई सी) का गठन किया जाएगा । इसमें अन्य संबंधित विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. संस्थानों, उत्पादक एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधि भी शामिल हेांगे। केन्द्र सरकार अपने प्रतिनिधियों को नामित करेगी जो एस एल ई सी का सदस्य होंगे ।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य के मिशन निदेशक एस एल ई सी के सदस्य सचिव होंगे। परिचालन स्तर पर राज्य सरकारों को मिशन के कार्यक्रमों को राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाने वाली उचित स्वायत्त निकाय के निर्माण या नामित करने की स्वतंत्रता है । राज्य में मौजूद पंचायती राज संस्थानों को कार्यान्वयन संरचना में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा ।

4.7 किसानों को उत्पाद के लिए पर्याप्त लाभ दिलाने की जरूरत तथा जहां तक संभव हो एजेंट की भूमिका को समाप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा उप–राज्य स्तरीय ढांचे को तैयार किया जाएगा । राज्य सरकार के पास उपयुक्त माडल अंगीकृत करने के लिए लचीलापन है कि वे मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अर्थात वह चाहे तो एन डी डी बी के अनुरूप सहकारी फैडरेशन के माडल शामिल कंपनियों (खरीद के लिए सहकारी प्रसंस्करण के लिए संयुक्त क्षेत्र तथा विपणन के लिए कार्पोरेट के साथ) या अनुकूल मौजूदा संस्थानों को अपना सकता है । राज्य की पहचानी गई प्रमुख एजेंसियों की सेवाएं जो कि विभिन्न बागवानी विकास कार्यक्रमों जैसे आदिवासी/ पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी के समेकित विकास, मधुमक्खी पालन का विकास, कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं उन्हें मिशन के ढांचागत कार्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए शामिल किया जाएगा।

4.8 राज्य स्तर की एजेंसी के निम्नलिखित कार्यकलाप हैं :

- मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ सामंजस्य रूप में परिदृश्य तथा वार्षिक राज्य स्तर कार्रवाई योजना तैयार करना तथा तकनीकी सहायता दल, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा

भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के साथ निकटतम समन्वय बनाए रखना तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना;

- मिशन के कार्यकलापों को करने के लिए राष्ट्रीय मिशन अथॉरिटी, राज्य सरकार और अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त करना और इसका उचित लेखा–जोखा तैयार करना और संबंधित एजेंसियों को उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना;

- कार्यान्वयन करने वाले संगठनों को राशि जारी करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन का अवलोकन, निगरानी और समीक्षा करना ;

- बागवानी उत्पादों के उत्पादन, इनकी क्षमता और मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए विभिन्न हिस्सों में (जिला, उप–जिला या जिलों का एक समूह) मूलभूत सर्वेक्षण और व्यावहारिक अध्ययन करना और इसके अनुसार सहायता प्रदान करना। इसी प्रकार के समानरूपी अध्ययन कार्यक्रम के अन्य घटकों के लिए भी शुरू किए जाएंगे;

- किसानों, सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों, उत्पादक, एसोसिएशन, स्वयं सेवी दल, राज्य सरकार के संस्थान तथा अन्य समान रूपी संगठनों के माध्यम से राज्य में मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा सहायता करना;

- समस्त इच्छुक दलों/ राज्य स्तर पर एसोसिएशन के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भा.कृ.अ.प. संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञता वाले अन्य संगठनों के साथ कार्यशाला, सेमिनार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

III. जिला स्तर

4.9 जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जिला मिशन समिति (डी एम सी) गठित की गई हैं । यह परियोजना निर्माण और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं । जिला मिशन समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ)/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के सी ई ओ होंगे तथा संबंधित विभागों, उत्पादक एसोसिएशन, विपणन बोर्ड, स्वयं सेवी दल और अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य के रूप में हैं । जिला योजना समिति और पंचायती राज संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में इसके पास उपलब्ध विशेषज्ञता तथा बुनियादी ढांचे के आधार पर समेकित/शामिल किया जाएगा । जिला बागवानी अधिकारी/ जिला कृषि अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे ।

IV. तकनीकी सहायता दल (टी एस जी)

4.10. मिशन के पास एक सशक्त तकनीकी घटक है और मिशन के प्रबंधन में विशेषज्ञ मुख्य रूप से शामिल होंगे । मिशन को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी जिसमें मिशन के कार्यक्रमों को सलाह देने, तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेषज्ञ और तकनीकी कार्मिकों द्वारा उचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा । एन एच बी में तकनीकी सहायता दल होगा जिसके पास ठेके पर व्यवसायिकों को नियुक्त करने के लचीले मापदण्ड होंगे । सेवा प्रदान करने वालों को ई सी द्वारा स्वीकृत इस प्रयोजन हेतु निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुरूप तकनीकी सेवा प्रदान करने के लिए भी लगाया जाएगा । तकनीकी सहायता दल में विभिन्न स्तर के कार्मिक शामिल होंगे जो तकनीकी सेवा प्रदान करेंगे और इनकी अर्हता, अनुभव, आहरित अंतिम वेतन यदि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए है, के आधार पर इनका मानदेय निर्धारित किया जाएगा । नए स्नातक जिन्हें बागवानी क्षेत्र की जानकारी है,

कंप्यूटर व्यावसायिक, एम बी ए स्नातक, युवा व्यावसायिक हैं वे भी टी एस जी में शामिल होंगे । राष्ट्र स्तर का टी एस जी केन्द्र स्तर पर सहायता प्रदान करेगा ।

4.11. टी एस जी के निम्नलिखित कार्यकलाप और भूमिका होगी :

i) राज्य का नियमित रूप से दौरा करना और संगठनात्मक तथा तकनीकी मामलों में मार्गदर्शन करना ।

ii) विभिन्न रोपण और विभिन्न पहलुओं अर्थात् उत्पादन, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए सामग्री का संकलन करना है । क्षमता निर्माण ओर प्रोन्नति के विषय, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर कार्यशाला/सेमिनार का एक वर्ष लम्बा कैलेंडर तैयार किया जाएगा ।

iii) पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन मिशन तैयार करना ।

iv) विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करना ।

v) सफलतम कहानियों के विषय अध्ययनों का दस्तावेज तैयार करना और इनका प्रसार ।

vi) क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में राज्यों की सहायता करना ।

vii) मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रचार/सूचना अभियान की शुरूआत ।

4.12 राज्य मिशनों द्वारा परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन और समवर्ती निगरानी के लिए राज्य स्तर के टी एस जी स्थापित कर सकते हैं । राज्य मिशनों को राज्य तथा जिला स्तर पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकार को भाड़े पर लेने की स्वतंत्रता है ।

4.13 एन एच एम की राष्ट्रीय तथा उप–राज्य स्तर पर सांकेतिक प्रशासनिक संरचना अनुबंध–1 में दी गई है ।

5. अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली

5.1 राज्यों द्वारा 10वीं योजना और 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्रवाई करने की योजना के प्रक्षेपण द्वारा राज्य बागवानी मिशन दस्तावेज को तैयार किए जाने की जरूरत है । एस एच एम डी वार्षिक कार्रवाई योजना (ए ए पी) तैयार करने के लिए आधार प्रदान करेगा । बागवानी विकास, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे, पूर्व में जारी राशि में से खर्च न की गई उपलब्ध राशि और परियोजना में खर्च होने वाली अधिकतम राशि के लिए मौजूदा क्षमता के आधार पर ए ए पी क्षेत्र आधारित होंगे । कृषि मंत्रालय द्वारा यदि पहले अवगत नहीं कराया गया है तो वर्ष के लिए अप्रैल/मई तक प्रस्तावित परिव्यय से प्रत्येक राज्य को अवगत कराया जाएगा जिसके उपरांत वह सैक्टरवार/जिलावार आबंटन चित्रित करेगा । जिला स्तर की एजेंसियां अपनी प्राथमिकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्रवाई योजना तेयार करेंगी (ए ए पी) और आबंटित राशि के अंदर योजना को राज्य बागवानी मिशन को प्रस्तुत करेंगी। राज्य सरकार एस एच एम डी और ए ए पी तैयार करने के लिए टी एस जी/परामर्श सेवाओं का उपयोग करेगी । राज्य बागवानी मिशन सम्पूर्ण राज्य के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार करेगी और राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) द्वारा इसे पुनरीक्षित करवाया जाएगा तत्पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के विचारार्थ इसकी 25 प्रतियां कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएंगी । एस एच एम द्वारा राज्य बागवानी मिशन दस्तावेज और वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए वार्षिक आबंटन का 5 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जा सकता है । वार्षिक कार्रवाई योजना में बागवानी विकास से संबंधित समस्त मुद्दों पर ध्यान देने का प्रयास किया जाए जिसमें उत्पादन, फसल कटाई के बाद का

प्रबंध तथा विपणन शामिल है । कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक कार्रवाई योजना को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र **अनुबंध–II** में दिया गया है ।

5.2 एस एच एम द्वारा एस एल ई सी की स्वीकृति को दर्शाते हुए इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा जैसाकि राष्ट्रीय स्तर की ई सी को अवगत कराया गया है। इसे राष्ट्रीय स्तर की ई सी की स्वीकृति के बाद प्रतिस्थापित किया जाएगा । ए ए पी की स्वीकृति से संबंधित स्थिति को आन–लाईन रूप में प्रदर्शित करने के प्रयास किए जाएंगे ।

6. बागवानी क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी), गुड़गांव

6.1 एन एच बी राष्ट्रीय स्तर के टी एस जी की व्यवस्था करेगा और कार्मिकों के भुगतान का प्रबंध करेगा । एच एच बी का एक अधिकारी डी ए सी के साथ परस्पर सम्पर्क के लिए विशेष रूप से समर्पित होगा। एन एच बी इसके अधिदेश के अनुसार कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करेगा ।

काजू और कोको विकास निदेशालय (डी सी सी डी), कोच्चिं

6.2 डी सी सी डी, नारियल और सुपारी को छोड़कर शेष रोपण फसलों से संबंधित कार्यकलापों के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा । यह काजू और कोको पर नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी जिम्मेवार होगा ।

सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डी ए एस डी), कालिकट

6.3 सुपारी, मसाले तथा सुगंधीय पौधों के विकास संबंधी कार्यकलापों के समन्वय एवं निगरानी के लिए डी ए एस डी जिम्मेवार होगा । यह मसाले, औषधीय एवं सुगंधीय पादपों पर नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार तथा कार्यशाला को आयोजित करने के लिए भी जिम्मेवार होगा ।

बागवानी में प्लास्टिकल्चर के अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय समिति (एन सी पी ए एच), नई दिल्ली

6.4 एन सी पी ए एच उत्कृष्ट कृषि विकास केन्द्रों (पी एफ डी सी) के माध्यम से उच्च–तकनीक वाली बागवानी और उत्कृष्ट कृषि से संबंधित कार्यकलापों के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेवार होगा ।

नारियल विकास बोर्ड (सी डी बी), कोच्चिं

6.5 यद्यपि सी डी बी नारियल के विकास पर स्कीमों पर काम करता है और इन्हें कार्यान्वित करता है, बोर्ड नारियल आधारित कृषि प्रणाली जिसमें सब्जियों, पुष्प, मसाले, सुगंधीय पादप आदि का अंतः फसलीकरण शामिल है, इनसे जुड़े हुए कार्यक्रमों में शामिल होगा ।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली

6.6 एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय, बागवानी फसलों के लिए ए ई जैड के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत होगा ।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी एम आई), नई दिल्ली

6.7 डी एम आई बाजार इंटेलीजेंस प्रदान करने तथा विपणन संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कार्यरत होगा ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम एफ पी आई), नई दिल्ली

6.8 एम एफ पी आई अपने बजट प्रावधानों के अंतर्गत बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जिम्मेवार होगा ।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन एम पी बी), नई दिल्ली

6.9 एन एम पी बी मिशन के साथ समन्वय से औषधीय पादपों के विकास से संबंधित स्कीमों को कार्यान्वित करेगा ।

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन (एन एच आर डी एफ), नई दिल्ली

6.10 एन एच आर डी एफ सब्जियों तथा सब्जी बीजों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी में कार्यरत होगा ।

6.11 बागवानी संबंधी इन संगठनों की स्कीम को एन एच एम के साथ समन्वित किया जाएगा और अपवाद के रूप में इन राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों तथा समान रूपी अन्य एजेंसयिों जैसे नाबार्ड, एन सी डी सी, एन ए एफ ई डी को नवीन पहल की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एन एच एम बजट से राशि प्रदान की जा सकती है।

7. चालू स्कीमों की स्थिति

7.1 वर्तमान समय में बागवानी विकास कार्यक्रमों को बहुत सी स्कीमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कार्यक्रम, नारियल विकास कार्यक्रम, उत्तर

पूर्वी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, बागवानी में मानव संसाधन विकास, आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास तथा मैक्रोप्रबंध स्कीम के अंतर्गत बागवानी कार्यक्रम । इनमें से मानव संसाधन और आदिवासी क्षेत्रों की स्कीमों को और मैक्रोप्रबंध के अंतर्गत कार्यक्रमों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में समाहित किया जाएगा । मैक्रो प्रबंध स्कीम राज्य सरकारों को राज्य के लिए कुल आबंटित बजट में 10 प्रतिशत के हिस्से को नए अविष्कारों पर खर्च करने की अनुमति की शिथिलता प्रदान करती है जिसका एच एच एम में रखरखाव किया जाएगा । एन एच बी कार्यक्रम उद्यमशीलता को प्रेरित करने वाले हैं और बोर्ड अपने कार्यक्रमों को नियमित रूप से कार्यान्वित करेगा । एन एच बी द्वारा मिशन को एक कार्यकलाप आरंभ करने की रूपरेखा प्रदान की जाएगी जिसमें विशेषज्ञों का पूल और तकनीकी सहायता दल भी होंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यक्रम जोकि उत्तर पूर्वी तथा हिमालयीन राज्यों के विकास के लिए केन्द्रित हैं वह पृथक स्कीम के रूप में नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे । नारियल विकास बोर्ड (सी डी बी) जिसे की देश में नारियल के विकास की निगरानी के लिए संसद द्वारा पारित करके स्थापित किया गया है, वह नारियल विकास कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से नियमित तौर पर कार्य करता रहेगा ।

8. मिशन मध्यस्थाएं

8.1 मिशन अपने प्रत्येक हिस्से में मांग और जरूरत पर आधारित होगा । विभिन्न मध्यस्थाओं में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी । योजना और निगरानी उद्देश्यों सहित फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, बाजार तथा उत्पादन पूर्वानुमान के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए स्थानों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकियों जैसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी), दूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ।

8.2 वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम विविध हैं और स्थानीय रूप से विभेदीकृत हैं । साथ ही बैकवर्ड और फारवर्ड सम्पर्कों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए तथा नवीनतम एवं उच्च तकनीक वाली मध्यस्थाओं की तैनाती द्वारा समेकित रूप में विकसित की जाने वाली क्षमतावान फसलों पर ध्यान दिया जाएगा । घटकों का विवरण, इसकी आकलित लागत के साथ–साथ सहायता के स्वीकृत मानक अनुबंध–3 में दिए गए हैं ।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) के प्रमुख घटक

मूलभूत सर्वेक्षण (प्रपत्र अनुबंध–II में दिया गया है)

- एक छोर से दूसरे छोर तक की अवधारणा के साथ बैकवर्ड और फारवर्ड सम्पर्कों के आधार पर क्षेत्र आधारित वार्षिक और परिदृश्य योजना (पैरा 3,5.1) ।
- ए टी एम ए तथा एस एच एम जैसे बोर्डों द्वारा महसूस की गई जरूरत के आधार पर अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन तथा संबंधित संगठनों द्वारा अपने बजट से राशि प्रदान करना (पैरा 8.3) ।
- संभावित फसलें जो विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप में लाभकारी हैं उनके लिए समेकित दृष्टिकोण पर मांग आधारित उत्पादन आधार (पैरा 8.4) ।
- बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री को तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा(पैरा 8. 5) ·
- उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी चालित कार्यक्रम (पेरा 8.2) अर्थात्
    - सुधरी किस्मों की शुरूआत
    - सुधरे कल्टीवर्स के साथ नवीकरण
    - प्लास्टिक का उपयोग
    - उच्च घनत्व वाला रोपण
    - किसानों और कार्मिकों की क्षमता निर्माण (पैरा 8.24)
- सुधारों के साथ जुड़ा हुआ विपणन का विकसित बुनियादी ढांचा

- सावधानीपूर्वक रिपोर्टिंग तथा निगरानी (पैरा 4.8)
- डाटाबेस सृजन, संकलन और विश्लेषण (पैरा 4.10)

अनुसंधान एवं विकास

8.3 बागवानी अनुसंधान के अंतर्गत कार्यक्रमों को प्रत्येक क्षेत्र/ राज्य की विशिष्ट कृषि मौसम और सामाजिक –आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी सृजन के सशक्त प्रयास किए जाएंगे । भारत और विदेशों में उपलब्ध उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रभावशाली हस्तांतरण और प्रसार पर ज्यादा जोर दिया जाएगा । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ सहयोग से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अन्य अनुसंधान संस्थानों/ संगठनों की क्षेत्र में पूर्ण क्षमता है वह इन अनुसंधान कार्यक्रमों के सहयोगी होंगे । उत्पादकों के खेत संबंधी अनुभव को जरूरी मध्यस्थाओं के आकार और डिजाइन बनाने के लिए तैयार किया जाएगा । इस संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों का मार्गदर्शन एक उत्कृष्ट अनुसंधान सलाहकार समिति (आर ए सी) द्वारा किया जाएगा और रोपण सामग्री, उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के क्षेत्र में पहचानी गई और उभरती हुई जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा । इस प्रकार की अनुसंधान परियोजनाएं बागवानी पर ध्यान देने के साथ–साथ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसियों के अंतर्गत जिला स्तर पर रणनीति अनुसंधान कार्यक्रम के साथ काम करेंगी । अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने वाली एजेंसियों को भा.कृ.अ.प. /सी.एस.आई.आर. की चालू स्कीमों के अनुरूप सहायता दी जाएगी और एन एच एम बजट से कोई भी वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं की जाएगी । संक्षेप में मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकता के तौर पर ध्यान दिए जाने वाले अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करना है जिसे मौजूदा अनुसंधान संगठनों द्वारा अपने स्वयं की धनराशि से कार्यान्वित किया जाएगा ।

उत्पादन और उत्पादकता सुधार

8.4 मिशन द्वारा समस्त बागवानी फसलों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा आनुवंशिक उन्नयन के लिए सुधरी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से मुख्य रूप से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा । क्षेत्रीय विभेदीकृत फसलों को विकसित करने के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टि जोकि राज्य/ क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, को अंगीकृत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा । बागवानी के विकास के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता पर केन्द्रित ध्यान दिया जाएगा और नर्सरी तथा मौजूदा ऊत्तक संवर्धन यूनिटों के उन्नयन के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा । बाजार की मांग को पूरा करने के लिए सुधरी किस्मों के अंतर्गत नए क्षेत्रों को शामिल करते हुए रोपण विकास कार्यक्रमों के साथ इसे संपूरक किया जाएगा।

रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

माडल नर्सरी

8.5 उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण मिशन का प्रमुख घटक है । अधिकांश राज्यों में रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी का एक नेटवर्क है जो केन्द्र या राज्य सरकार की सहायता से स्थापित की गई हैं । पुराने/ जीर्ण रोपण के लिए नवीकरण कार्यक्रम के लिए बागवानी फसलों की सुधरी किस्मों के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्र लाने के लिए रोपण सामग्री की जरूरत को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंतर्गत नई नर्सरी स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी । माडल नर्सरी के लिए बुनियादी ढांचे में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :

(i) प्रतिकूल मौसम स्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए 500 मी.^{2} के अधिकतम क्षेत्र के साथ पोलीकवर के अंतर्गत मदर स्टाक ब्लाक मेंटेनेंस

(ii) नैट हाउस स्थिति के अंतर्गत प्रकंद कलम को बढ़ाना

(iii) अधिकतम 500 मी.^{2} पोलीहाउस के प्रसारण हाउस के साथ वायुसंचारण जिसमें साइड में कीट रोधी नैटिंग और फौगिंग तथा छिड़कावक सिंचाई प्रणालियां होंगी ।

(iv) अधिकतम 2000 मी.^{2} कीटरोधी हाउस में हार्डनिंग/रखरखाव के साथ 35 प्रतिशत लाइट स्क्रीनिंग गुणधर्म और छिड़काव सिंचाई प्रणालियां ।

(v) प्रतिदिन 5 एम एम के व्यस्तम भार के साथ पर्याप्त सिंचाई प्रदान करने के लिए पम्प हाउस और कम से कम 2 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए जल भंडारण टैंक

(vi) बायलर्स के साथ मृदा अनुर्वरता–वाष्पशील अनुर्वरता प्रणाली

8.6 यह आकलन किया गया है कि 4 है0 क्षेत्र वाली माडल नर्सरी की लागत रू0 18.00 लाख प्रति यूनिट होगी । सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली माडल नर्सरी रू0 18.00 लाख प्रति यूनिट की अधिकत सीमा तक 100 प्रतिशत सहायता पाने की पात्र हैं। माडल नर्सरी प्रति वर्ष 4 लाख पादपों को उत्पादित करेंगी । रोपण सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी नर्सरी की होगी । निजी क्षेत्र में माडल नर्सरी को दी जाने वाली सहायता 9.00 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के साथ लागत के 50 प्रतिशत तक होगी।

लघु नर्सरी

8.7 लघु नर्सरी वह है जो लगभग एक हैक्टर क्षेत्र में फैली हो और जिसमें 60,000 से 80,000 पौधों को रखने की बुनियादी सुविधाएं हों । इन पौधों का रखरखाव लगभग 9 माह की अवधि तक किया जाएगा। लघु निर्सरी के लिए बुनियादी ढांचे में 2000 एम^2 के नैट हाउस

से 35 प्रतिशत स्क्रीन लाइट तक होनी चाहिए । नैट हाउस का तल एक मीटर आकार की उठी हुई क्यारियों पर होना चाहिए जो कि खरपतावार और भूमि जनित रोग कारकों को नियंत्रित करने के लिए पलवार शीट से आच्छादित किया जाएगा । सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणाली पूरे नैट हाउस में प्रत्येक क्यारी में की जाएगी । नर्सरी में कंटेनर की आकस्मिक जरूरतें छोटे से बड़े कंटेनर में स्थानांतरित करने के लिए मृदा मीडिया के सौर स्टरलाइजेंशन के लिए प्रावधान होने चाहिए । लघु नर्सरियों की लागत रू0 3.00 लाख प्रति यूनिट होगी । सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वित्त सहायता 100 प्रतिशत होगी और निजी क्षेत्र की नर्सरी के लिए सहायता की अधिकतम सीमा रू0 1.50 लाख है । लघु नर्सरी प्रति वर्ष कम से कम 50,000 पौधे उत्पादित करेगी।

8.8 स्व–प्रत्यायन के माध्यम से रोपण सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी नर्सरी की होगी । नर्सरियां बीज और रोपण सामग्री से संबंधित लागू नियमों के अंतर्गत विनियमित होंगी । नर्सरी बहु–फसल या फसल विशिष्टता वाली होंगी जो स्थान/परियोजना क्षेत्र में रोपण सामग्री की जरूरत पर निर्भर होगा । अतः स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नर्सरी को कार्रवाई योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए । योजना में मौजूदा नर्सरियों का आकलन, उत्पादित किए जाने वाले रोपण सामग्री की संख्या, फसलवार विवरण तथा नर्सरियों की अतिरिक्त जरूरतों को भी दर्शाया जाए ।

उत्तक संवर्धन यूनिटें

8.9 इस मिशन के अंतर्गत कोई नवीन ऊत्तक संवर्धन यूनिटों को स्थापित नहीं किया जाएगा। चूंकि अनेक टी सी यूनिटें पहले से ही मौजूद हैं इनमें से कुछ को सुदृढीकरण/पुनर्वास की जरूरत है । मौजूदा ऊत्तक संवर्धन यूनिटों के पुनर्वास/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी । सार्वजनिक क्षेत्र की टी.सी. यूनिटों के लिए अधिकतम सीमा रू0 8.00

लाख तथा निजी क्षेत्र की टी सी यूनिटों के लिए लागत का 50 प्रतिशत है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 4.00 लाख है ।

सब्जी के बीजों का उत्पादन

8.10 सब्जियों में रोग मुक्त पौद के उत्पादन कार्यक्रम को मुख्य रूप से सब्जियों की संकर किस्मों पर अनुप्रयोग किया जाएगा । इनमें बीज बहुत महंगे हैं और बीजों का अंकुरण कम होता है तथा जब इन्हें खुली हुई नर्सरियों में उगाया जाता है तो इनके पौद की मृत्युदर काफी ज्यादा होती है । जहां भी जरूरी होगा वहां प्लग प्रौद्योगिकी और अंकुरण के लिए पर्यावावरण नियंत्रण, वृद्धि और सब्जी पौदों की हार्डनिंग का काम किया जाएगा । यह पौद के उत्पादन को इस रूप में करेगा जिससे अगेती और पछेती फसल संभव होगी जिसे सब्जी के उत्पादन को लम्बे समय तक कायम रखा जा सकेगा और इससे उत्पाद की भरमार और अत्यंत कमी वाली अवधि जैसी स्थितियों के उत्पन्न होने में कमी आएगी। इसके अलावा संकर किस्मों के बीजों का परीक्षण के बाद चयन किया जाएगा जो उच्च उत्पादन को सुनिश्चत करेगा ।

8.11 बुनियादी सुविधओं में उपोष्ण स्थितियों के लिए डिजाइन की गई 2000 एम^2 के अधिकतम क्षेत्र वाला ग्रीन हाउस शामिल है जिसमें साइड में कीट नैटिंग तथा पोलीशीट की रोलिंग होगी । पादप को छोटे प्लग वाली प्लास्टिक की ट्रे में उगाया जाएगा । विभिन्न फसलों के लिए प्लग विभिन्न आकार के होंगे। छिड़कावक सिंचाई प्रणाली स्थापित की जाएगी । मीडिया स्टरलाइजेशन के लिए बुनियादी ढांचा जैसे– भाप बायलर, होल्डिंग बिन्स आदि भी प्रदान किए जाएंगे ।

8.12 सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सब्जी बीज उत्पादन के लिए वित्त सहायता रू0 50,000 प्रति हैक्टर होगी और निजी क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 25,000/– प्रति हैक्टर होगी । इसे ऋण से जुड़ी हुई बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में 5 हैक्टर प्रति लाभकर्ता तक सीमित रखा जाएगा ।

8.13 राज्य बागवानी मिशन किसानों को सामान्य मूल्यों पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करेगा ।

बीज का बुनियादी ढांचा

8.14 बीज के उचित रखरखाव, भंडारण तथा पैकेजिंग को सरल बनाने के लिए बुनियादी ढांचा जैसे शुष्कन प्लेटफार्म, भंडारण बिन्स पैकेजिंग यूनिट और संबंधित उपकरण तैयार करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी । सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत सहायता दी जाएगी और निजी क्षेत्र को क्रैडिट लिंक बैक एडिड सब्सिडी, जो लागत के 25 प्रतिशत तक होगी, की सहायता दी जाएगी ।

नए उद्यानों की स्थापना

8.15 मिशन में बागवानी फसलों की सुधरी किस्मों के अंतर्गत व्यापक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा । एक किसान सामान्यतया एक फसल के लिए सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। कृषि के लिए सहायता को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में 50:30:20 के अनुपात में तीन वर्षों में विभक्त किया जाएगा । दूसरे वर्ष के लिए सहायता नए उद्यान के 75 प्रतिशत जीवित पौधों पर तथा तीसरे वर्ष पौधों के 90 प्रतिशत जीवित पौधों पर आधारित होगी । बागवानी फसलों जैसे फल, पुष्प, मसाले, सुगंधीय पौधे तथा रोपण फसलें जैसे काजू, कोको और सुपारी के अंतर्गत नए क्षेत्र लाने के लिए सहायता का फसलवार विवरण

अनुबंध–III में दिया गया है । नई पौदों को बड़ा करने पर लगने वाली लागत फसल दर फसल अलग होगी । लागत के मापदण्ड **अनुबंध–III** में दर्शाए गए हैं । विभिन्न फसल संबंधी फसलों के लागत के मापदण्ड **अनुबंध–IV** में दिए गए हैं । फल वाली फसलों के अंतर्गत नए क्षेत्रों को लाने के लिए सहायता को लगत के 75 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लाभकर्ता 4 हैक्टर अधिकतम रू0 22,500 /हैक्टर है।

जीर्ण पादपों का नवीकरण/ प्रतिस्थापन

8.16 बारहमासी फलों जैसे आम, नीबूवर्गीय, सेब तथा रोपण फसलें जैसे नारियल और काजू की कम उत्पादकता का प्रमुख कारण जोत क्षेत्र का छोटा आकार, पुराने और जीर्ण पेड़ों की प्रचुरता और इनपुट जैसे पानी, पोषक तत्वों और कीटनाशी का निम्न स्तरीय प्रबंध है । उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद क्षेत्र में घनी छाया वाले आम के बागानों, पूरे देश में अमरूद, नाशपाती, किन्नू और अन्य नीबूवर्गीय फलों की पौद के बागानों के साथ–साथ रोग प्रभावित काली मिर्च, इलायची तथा काजू रोपण को देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक क्षेत्रों में सामान्य रूप से देखा जा सकता है । एन एच एम के अंतर्गत जीर्ण एवं पुराने पेड़ों को हटाकर इनके स्थान पर नए स्टाक को पुनः रोपित करने के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें निवेश, छटाई तथा पौद रोपने की तकनीकों के उचित और समेकित संयोजन की सहायता मिलेगी । कार्यक्रम को एकल किसानों, किसान सहकारी सिमतियों, स्वयं सेवी दलों, गैर सरकारी संगठनों, उत्पादक एसोसिएशन तथा कौमोडिटी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा । पुराने पेड़ों के नवीकरण के लिए सहायता लागत की @ 50 प्रतिशत दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 हैक्टर प्रति लाभकर्ता तक सीमित रखते हुए रू0 15,000/– प्रति हैक्टर तक अधिकतम होगी ।

जल स्रोतों का निर्माण

8.17 जल स्रोतों के निर्माण के लिए समुदाय टैंकों के निर्माण, फार्म पांड्स/ जलाशय के साथ–साथ प्लास्टिक लाइनिंग के माध्यम से मिशन के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता को 10 हैक्टर क्षेत्र के लिए रू0 10.00 लाख प्रति यूनिट तक सीमित रखा जाएगा जिसे समुदाय आधार पर दिया जाएगा । जल स्रोतों के साज–संभाल की जिम्मेवारी समुदाय की होगी ।

संरक्षित कृषि

8.18 कार्यकलाप जैसे ग्रीन हाउस निर्माण, पलवार, शेड नैट तथा प्लास्टिक टनल को प्रोत्साहित किया जाएगा । इसके लिए दी जाने वाली सहायता को निम्नलिखित दर्शाया गया है :

1.ग्रीन हाउस (हाई टैक)	**आंकलित लागत**	**सहायता का पैटर्न**
क. छोटे और सीमांत किसान	हाई टैक के लिए रू0 650/स्का.मी. रू0 250/स्का.मी. सामान्य के लिए	हाई टैक ग्रीन हाउस के लिए लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 325 /स्का.मी. है तथा सामान्य जी.एच के लिए रू0 125/स्का.मी. जिसे 1000 स्का.मी./लाभकर्ता तक सीमित रखा गया है ।
ख. अन्य किसान	–वही–	हाई टैक के लिए लागत का 33.3 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 215/स्का.मी.है तथा सामान्य के लिए रू0 67/स्का.मी. जिसकी अधिकतम सीमा 1000 स्का.मी. है।
2. पलवार से ढकना	रू0 14,000/है0	कुल लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 7000/है0 जिसे 2 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित रखा जाएगा ।
3. शेड नैट	रू0 14/स्का.मी.	कुल लागत का 50॰पतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 3500/500 स्का. मी.है जिसे 2 हैक्टर प्रति लाभकर्ता तक सीमित रखा जाएगा ।
4. प्लास्टिक टनल	रू0 10/स्का.मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5000/1000 स्का.मी. है जिसे 5 हैक्टर प्रति लाभकर्ता तक सीमित रखा जाएगा ।

उत्कृष्ट कृषि का विकास और पी एफ डी सी द्वारा विस्तार

8.19 उत्कृष्ट कृषि में पिछले काफी लम्बे समय से नाप–तोल और समझ की विविधता रही है । इसके अलावा इस विविधता को व्यवस्थित करने के लिए स्थल विशिष्ट निवेश का उपयोग करते हुए खेत के अंदर की स्थितियों के लिए अनुरूप इनपुट द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से सृजित सूचना का प्रणाली द्वारा उपयोग किया जाएगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रणाली खेत पर और खेत के बाहर मूल्य का आकलन करने के क्रम में इन स्थान–विशिष्ट क्रियाविधियों की नापतोल तथा रिकार्डिंग भी प्रदान करती है । इस प्रकार उत्कृष्ट कृषि अपने आप में सूचना आधारित और निर्णय केन्द्रित वाली प्रौद्योगिकी है ।

8.20 उत्कृष्ट कृषि की समर्थ प्रौद्योगिकियों को पांच प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता हैः कंप्यूटर, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम (जी पी एस), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस), सेंसर और एप्लीकेशन नियंत्रण कुछ समर्थ प्रौद्योगिकियां विशेष रूप से कृषि के लिए तैयार की गई हैं और इनके सृजन की तिथि लगभग 20 वर्ष पहले की है । इन प्रौद्योगिकियों का समेकित रूप यह है कि ये किसानों और इन्हें सेवा प्रदान करने वालों को काम करने में समर्थ बनाती है जो पहले संभव नहीं था जिसका उदाहरण पूर्व से नहीं लिया जा सकता ये सही ढंग से कब किया गया है इससे प्राप्त गुणवत्ता को पहले कभी हासिल नहीं किया गया है । मोनो–फसल के सटीक ब्लाकों की उपलब्धता और सर्वेक्षण, रिकार्डिंग तथा विश्लेषण के लिए जरूरी उपकरणों की उलब्धता को समीपवर्ती सही समय के आधार पर इन देशों में उत्कृष्ट कृषि प्रौद्योगिकियां तैयार हो गई हैं जो मुख्य रूप से उपकरणों के ऊपर निर्भर है ।

8.21 भारत में उत्कृष्ट कृषि अभी भी अपने प्रारंभिक स्तर पर है । विभिन्न पहलुओं जैसे मृदा लक्षण–वर्णन, मौसम के प्राचल, स्थलाकृति लक्षण, खपत के उपयोग एवं पोषण जरूरतों के

संदर्भ में फसल की आवश्यकता पर व्यापक मात्रा में आंकड़ों का सृजन कर लिया है और इन प्राचलों को रिकार्ड करने के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध हैं । देश में उर्वरीकरण/रासायनीकरण के माध्यम से फसल के लिए जरूरी निवेश की मात्रा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई है । तथापि किसानों के खेतों में पैकेज के रूप में उत्कृष्ट कृषि के अनुप्रयोग पर अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । इसका प्रमुख कारण निवेश के न्यूनतम उपयोग के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन वृद्धि की संभावित क्षमता की जानकारी का अभाव है । दूसरा कारण पूर्व में इस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसी भी एजेंसी द्वारा गंभीर रूप से प्रयास न करना है । दूर संवेदन और जी आई एस के संदर्भ में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के उत्कृष्ट कृषि को बढ़ावा देने में प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जाना बाकी है । अतः इससे धीरे–धीरे चरणबद्ध रूप में विकास किया जाएगा ।

8.22 सबसे पहले भारतीय स्थितियों के अंतर्गत अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया जाएगा । उत्कृष्ट कृषि विकास केन्द्र (पी एफ डी सी) क्षेत्रीय विभेदीकृत प्रौद्योगिकी प्रमाणीकरण और प्रसार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे । देश में इस समय पी एफ डी सी 17 स्थानों में मौजूद हैं जो अधिकांशतः राज्य कृषि विश्वविद्यालयें, भा.कृ.अ.प. संस्थानों तथा आई आई टी खड़गपुर में स्थित हैं । प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग पर संबद्ध अनुसंधान करने में इनके अनुभव को देखते हुए इनके पास मानवशक्ति और उपकरणों के उपयोग की विशेषज्ञता है । पी एफ डी सी खेतों में उत्कृष्ट कृषि तकनीकों पर सूचना सृजन के लिए जरूरी हार्डवेयर और साफ्टवेयर से सुसज्जित है । पांच पी एफ डी सी को उत्कृष्ट कृषि के उत्कृष्ट केन्द्र (सी ई पी एफ) के रूप में विकसित किया जाएगा । ये केन्द्र नामतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर; गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवासारी; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर तथा

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ हैं । ये संस्थान उत्कृष्ट कृषि के अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने में पूरी तरह सुसज्जित हैं । सी ई पी एफ क्षेत्र में स्थित अन्य पी एफ डी सी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक मूल केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे । इसका वास्तविक लक्ष्य किसानों को सभी जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराना है ताकि ये जरूरी निवेश का उपयोग करने की स्थिति में आ सकें । अन्य संगठन जैसे भा.कृ.अ.प. के संस्थान तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी प्रौद्योगिकी विकास में शामिल किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु पी एफ डी सी को वित्तीय सहायता परियोजना के आधार पर प्रदान की जाएगी ।

समेकित पोषण प्रबंध/ समेकित जीवनाशी प्रबंध को बढ़ावा देना

8.23 आई एन एम/ आई पी एम के लिए कुल लागत की 50 प्रतिशत सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1000 प्रति हैक्टर तथा यह 4 हैक्टर प्रति लाभकर्ता तक सीमित है । निम्न दर्शाए गए सहायता के पैटर्न के अनुसार विकासशील सुविधाओं जैसे रोग पूर्वानुमान यूनिट, जैव नियंत्रण प्रयोगशाला, पादप स्वास्थ्य क्लीनिक तथा पत्ता/ ऊत्तक विश्लेषण प्रयोगशाला के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

आई एन एम आई पी एम को बढ़ावा देना	**आकलित लागत**	**सहायता का पैटर्न**
i. स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता (सावर्जनिक क्षेत्र)	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
ii. आई पी एम को बढ़ावा	रू0 2000/है0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 1000/है0 जिसे 4 है0/लाभकर्ता तक सीमित रखा जाएगा ।
iii. रोग–पूर्वानुमान यूनिट (पी एस यू)	रू0 4 लाख/यूनिट	रू0 4 लाख/यूनिट तक

iv. जैव नियंत्रण प्रयोगशाला (क) सार्वजनिक क्षेत्र (ख) निजी क्षेत्र	रू0 80 लाख/यूनिट	 रू0 80 लाख/यूनिट तक रू0 40 लाख/यूनिट तक क्रैडिट लिंक बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में
v. पादप स्वास्थ्य क्लीनिक (क) सावर्जनिक क्षेत्र (ख) निजी क्षेत्र	रू0 20 लाख/ यूनिट	 रू0 20 लाख/यूनिट तक रू0 10 लाख/ यूनिट तक क्रेडिट लिंक बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में
vi. पत्ता/ऊतक विश्लेषण प्रयोगशाला (क) सावर्जनिक क्षेत्र (ख) निजी क्षेत्र	रू0 20 लाख/ यूनिट	 रू0 20 लाख/यूनिट तक रू0 10 लाख/ यूनिट तक क्रेडिट लिंक बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में

8.24 सार्वजनिक क्षेत्र को स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता प्रमाणिकरण सुविधाएं स्थापित करने के लिए परियोजना आधारित सहायता दी जाएगी । बागवानी उत्पाद तथा रोपण सामग्री के आयात/निर्यात के लिए स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता प्रमाणीकरण की लागत की मामलेवार सहायता दी जाएगी ।

कार्बनिक कृषि

8.25 बागवानी क्षेत्र में कार्बनिक कृषि तेजी से प्रमुखता की ओर बढ़ रही है । इसके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के कारण अनेक देशों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है । कार्बनिक रूप से तैयार खाद्य उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की मांग और अधिक टिकाऊ विकास के लिए समाज की मांग पूरे विश्व में कृषि और व्यापार को नए अवसर प्रदान करेगी ।

8.26 कार्बनिक उत्पाद का मौलिक नियम यह है कि निवेश के रूप में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाए तथा सेंथेटिक निवेश के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। किंतु इन दोनों मामलों में अपवाद है विभिन्न प्रमाणिकरण कार्यक्रमों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि अनेक प्राकृतिक निवेश मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है जिन्हें प्रतिबंधित किया जाए (अर्थात आर्सेनिक) । अनेक सेंथेटिक निवेश को अनिवार्य माना गया है और ये कार्बनिक कृषि की अवधारणा के अनुरूप हैं जिन्हें अनुमति दी गई है (अर्थात इंर्सेक्ट फैरोमोंस) । एक कार्बनिक उत्पादन प्रणाली को निम्नलिखित के लिए डिजाइन किया जाएगाः

- प्रणाली के अंदर जैविकीय विविधता बढ़ाने के लिए;
- मृदा जैविकीय सक्रियता में वृद्धि;
- दीर्घावधि मृदा उर्वरता को बनाए रखना;
- पादप और पशु अपशिष्ट का पुनश्चक्रण;
- स्थानीय सुसंगठित प्रणाली में नवीनीकृत संसाधनों पर निर्भरता;
- मृदा, जल और वायु के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना तथा सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करना;
- कार्बनिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने तथा समस्त स्तरों पर उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता को बनाए रखने के क्रम में सतर्क प्रसंस्करण विधियों पर जोर देने के साथ–साथ कृषि उत्पादों की साज–संभाल करना।

8.27 विश्वव्यापी स्तर पर कार्बनिक रूप से तैयार खाद्य सामग्री की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित प्राकृतिक लाभ पूर्ण रूप से दोहन किए जाने की जरूरत है।

कार्बनिक रूप से तैयार फसल के लिए जरूरी प्रमाणिकरण प्राप्त करने के क्रम में उत्पादकों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण तथा संबंधित सूचना सामग्री के वितरण के माध्यम से जागरूकता तथा जानकारी का सृजन किया जाएगा । बारहमासी तथा गैर बारहमासी फल संबंधी फसलों, सुगंधीय पादप तथा मसाले आदि के लिए कार्बनिक कृषि के अंगीकरण के लिए विस्तार कार्यक्रम के अलावा प्रति हैक्टर @ रू0 10,000 दिए जाएंगे जिसकी अधिकतम सीमा 4 है0 प्रति लाभकर्ता हैं । सब्जी की कार्बनिक कृषि के लिए अधिकतम सहायता रू0 10,000 प्रति है0 दी जाएगी । एन एच एम द्वारा कार्बनिक प्रसंस्करण/उत्पाद के प्रमाणिकरण के लिए मामले–दर–मामले के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुति के बाद 50 है0 क्षेत्र के किसानों के वर्ग के लिए रू0 5.00 लाख की अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

बागवानी में मानव संसाधन विकास

8.28 प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन विकास मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों, फील्ड स्तर के कार्मिक तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण को आरंभ किया जाएगा । फसल की उच्च पैदावार वाली किस्मों तथा कृषि प्रणाली के अंगीकरण के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे । कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्मिकों के लिए तथा फील्ड स्तर के वे कर्मचारी जो किसानों को प्रशिक्षित/गाइड करने वाले स्टाफ से संबंधित हैं इनके लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आंरभ किए जाएंगे । प्रशिक्षण के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यकलाप किसानों को संसाधन सामग्री प्रदान करना और प्रदर्शनी तथा प्रदर्शनों के माध्यम से इन्हें विभिन्न कृषि तकनीकों के बारे में प्रबुद्ध रूप से जानकार बनाना है । इसकी व्यापक और सम्पूर्ण प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रचार की भी जरूरत होगी । यह प्रस्ताव है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल एजेंसी को किसान के प्रशिक्षण के

लिए @ रू. 1500 प्रति किसान सहायता दी जाएगी । यह कार्यकलाप निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के साथ–साथ एन जी ओ द्वारा भी किए जाएंगे । सफलतम एवं प्रगतिशील किसानों के खेतों को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उपयोग में लाया जाएगा । अन्य राज्यों में अपनाई जा रही उत्पादन क्रियाविधि के बारे में किसानों को जानकार बनाने के क्रम में राज्यों से बाहर प्रशिक्षण और खेत दौरों के आयोजन के काम को शुरू किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रति उम्मीदवार रू0 2500 की सहायता दी जाएगी जिसमें यातायात, आवास, प्रतिदिन आहार भत्ता और प्रशिक्षण किट शामिल हैं । प्रशिक्षण के साथ दौरे को कम से कम 7 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा जिसमें यात्रा का समय भी शामिल है ।

8.29 परियोजना अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, कृषि अधिकारी तथा विस्तार कार्यकर्ता के स्तर के प्रशिक्षकों को राज्य में या राज्य से बाहर विभिन्न भा.कृ.अ.प. संस्थानों में स्थित बागवानी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय उन्नति के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा । ये अधिकारी इसके बाद अपने संबंधित क्षेत्रों में स्टाफ और किसानों को प्रशिक्षित करेंगे । इस प्रयोजन हेतु वास्तविक लागत को अधिकतम प्रति उम्मीदवार रू0 50,000 दिए जाएंगे जिसमें यात्रा तथा संस्थान में प्रशिक्षण सामग्री की लागत शामिल है ।

8.30 बागवानी में मानव संसाधन की चालू स्कीमों को एन एच एम में मिला लिया जाएगा । पर्यवेक्षकों, उद्यमियों, गार्डनर तथा फील्ड कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता दी जाएगी ।

8.31 बागवानी क्षेत्र में लोगों को उद्यमी या स्वरोजगार के रूप में प्रशिक्षित करने के द्वारा प्रबंधकीय तथा तकनीकी दोनों स्तरों पर जानकारी तथा दक्षता के अंतराल को कम करने

और बागवानी यूनिटों/ फार्म में रोजगार के लिए कुशलता के निर्माण और किसानों की जानकारी के उन्नयन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा ।

8.32 स्कीम के तीन घटक हैं अर्थात्

(क) पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

(ख) गार्डनर का प्रशिक्षण

(ग) उद्यमियों का प्रशिक्षण

8.33 पर्यवेक्षकों, उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चुने हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ भा.कृ.अ.प. संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाएंगे तथा गार्डनर को कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा जबकि विभागीय कर्मचारियों को चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। इन प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षण व्यय की पूर्ति मिशन द्वारा की जाएगी।

8.34 पर्यवेक्षक और उद्यमशीलता के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक तथा गार्डनर के लिए कक्षा–8 (मिडिल) स्तर है । पर्यवेक्षक और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सांकेतिक लागत निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 18.00 लाख होगी ।

पर्यवेक्षक तथा उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए लागत संरचना	
मद	**लागत (रू0 लाख में)**
छात्रवृत्ति @रू0 1000 प्रतिमाह (25 प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक वर्ष)	3.000
पाठ्यक्रम सामग्री	0.125
बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए	10.000

संस्थान को सहायता (एक मुश्त)	
परिचालन सहायता	5.000
कुल	**18.125**

8.35 इसी के अनुरूप गार्डनर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सांकेतिक लागत निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 13.5 लाख है ।

गार्डनर के प्रशिक्षण के लिए लागत संरचना	
मद	**लागत (रू0 लाख में)**
छात्रवृत्ति @रू0 800 प्रतिमाह (25 शिक्षणार्थियों के लिए 6 माह)	2.400
पाठ्यक्रम सामग्री	0.125
बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए संस्थान को सहायता (एक मुश्त)	6.000
आपरेशनल सहायता	5.000
कुल	**13.525**

8.36 प्रशिक्षण संस्थानों को कृषि एवं सहकारिता विभाग से परामर्श करके इस संरचना में पाठ्यक्रम का विवरण तैयार करने का विकल्प दिया गया है ।

8.37 वे राज्य जो बागवानी उत्पादन का पहले से ही मजबूत आधार रखते हैं तथा बागवानी में प्रशिक्षण के लिए संस्थागत ढांचा रखते हैं, बागवानी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे ।

8.38 प्रशिक्षण के लिए पहचाने गए संस्थानों के पास कक्षा के कमरे, स्टाफ और छात्रावास संबंधी सुविधाएं आदि जैसी आधारभूत बुनियादी ढांचे की सुविधाएं होनी चाहिए ।

8.39 पर्यवेक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष, बागबानों के लिए छःमाह और उद्यमियों के लिए तीन माह होगी । उम्मीदवारों को आकर्षित करने और इससे भी महत्वपूर्ण उन्हें रोक रखने तथा उन्हें निकलने से रोकने के लिए संबंधित संस्थान में भोजन व्यवस्था और आवास के खर्चों के रूप में उन्हें मासिक वजीफा प्रदान करेगा । पाठ्यक्रम आवासीय होंगे । प्रशिक्षण के अंत में पर्यवेक्षकों को बागवानी में डिप्लोमा, बागबानों और उद्यमियों को बागवानी में प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा । प्रत्येक भागीदार संस्थान में वार्षिक रूप में लगभग 25 पर्यवेक्षकों, 50 बागबानों और 20 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।

8.40 ये प्रशिक्षित लोग बागवानी विकास से जुड़ी फर्मों द्वारा रोजगार देने के लिए संभावित उम्मीदवार होंगे।

8.41 यदि राज्य बागवानी से संबंधित विषयों पर विशेषीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं उन्हें संबंधित राज्य(यों) की सिफारिश पर आधारित सीधे सम्बद्ध संस्थानों को इसके लिए सहायता मुहैया की जाएगी । ऐसे प्रशिक्षण आम तौर पर 20 से 25 भागीदारों के लिए 7 से 10 दिन की लघु अवधि के होंगे ।

8.42 ऐसे प्रशिक्षक जो अन्य को प्रशिक्षण देना चाहते हैं उन्हें एक सीमित अवधि के लिए विदेश में प्रशिक्षण लेने हेतु भी प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए यात्रा खर्च और पाठ्यक्रम शुल्क को पूरा करने के लिए सहायता उपलब्ध की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए बागवानी/ कृषि/ राज्य बागवानी मिशन के संबंधित राज्य विभाग नोडल एजेंसी के

रूप में कार्य करेंगे । उनके विशिष्ट प्रस्ताव पर आधारित मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सम्मिलित उम्मीदवारों के खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य बागवानी मिशनों को निधियां उपलब्ध की जाएगी ।

मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण में सहायता करना

8.43 कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए मधुमक्खी का एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में उपयोग किया जा सकता है । राज्य में मधुमक्खी पालन विकास कार्यक्रम के समन्वय की समग्र जिम्मेदारी पहचाने गए राज्य की निर्दिष्ट एजेंसी (एस डी ए) अथवा ऐसी क्षमता रखने वाले किसी संस्थान/ सोसायटी में निहित होगी । राज्य निर्दिष्ट नोडल एजेंसियां जो मधुमक्खी पालन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं, वे राष्ट्रीय बागवानी मिशन में समेकित होंगी तथा राज्य निर्दिष्ट संबंधित एजेंसियां राज्य स्तर की कार्यकारिणी समिति की सदस्या होंगी ।

केन्द्रक भण्डार (न्यक्लियस स्टॉक) का विकास और बहुगुणन

8.44 सार्वजनिक और कार्पोरेट क्षेत्र में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए आई सी आर पी) केन्द्र और अन्य संस्थान चुनिंदा मधुमक्खी प्रजातियों (**ए. सेरेना** और **ए. मेलीफेरा**) के केन्द्रक भंडार का विकास करने में सम्मिलित होंगे । संस्थान अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे, उसकी कमियों को दर्शाने वाला एक विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिन्हें दूर

करने की आवश्यकता है तथा 3.00 लाख रू0 की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना से परियोजना आधार पर सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

8.45 कार्पोरेट/ निजिी क्षेत्र के मधुमक्खी प्रजनकों को राज्य निर्दिष्ट एजेंसी के साथ पंजीकृत करना होगा तथा उनका चयन उनकी तकनीकी सुविज्ञता, योग्य कार्मिकों और बुनियादी ढांचे के आधार पर किया जाएगा । पंजीकृत मधुमक्खी प्रजनक मुख्यतः बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रति प्रजनक 2.50 लाख रू0 तक सीमित अतिरिक्त सुविधाओं की मांग की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता लेने के पात्र होंगे । प्रत्येक मधुमक्खी प्रजनक को पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष कम से कम 3000 कालोनियों को बढ़ाने और उत्पादन करने की आवश्यकता होगी । यदि एक प्रजनक उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो राज्य निर्दिष्ट एजेंसी यथानुपात सहायता को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगी ।

मधुमक्खी कालोनियों, छत्ताधानियों और उपकरणों का वितरण

8.46 जैसा ऊपर परिभाषित है, चुनिंदा मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों को किसानों/ मधुमक्खी पालकों को वितरित किया जाएगा। मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए चार फ्रेमों वाली प्रति कालोनी 350 :0 की अधिकतम सीमा के अधीन लागत की 50 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता मुहैया की जाएगी । एपिस सेरेना की कालोनियां सस्ती होती हैं इसलिए ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता की राशि कम होगी । पंजीकृत मधुमकखी पालकों को राज्य निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा उनके प्रत्येक छत्ताधानी के लिए उपयुक्त पहचान संख्या दी जाएगी ।

8.47 मधुमक्खी की कालोनियों के अनुरक्षण के लिए मानक मधुमक्खी छत्ताधानियों की पूर्व मांग होती है। इसलिए गुणवत्ता वाली छत्ताधानियों और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से आर्थिक सहायता छत्ताधानियों/उपकरणों की लागत की 50 प्रतिशत की दर से अथवा 450 रू0 प्रति सेट, जो भी कम हो, मुहैया की जाएगी । मधुमक्खी छत्ताधानियों और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति में शामिल प्रसिद्ध निर्माताओं को राज्य निर्दिष्ट एजेंसी के साथ पंजीकरण करना होगा । राज्य निर्दिष्ट एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि केवल उन्हीं निर्माताओं को पंजीकृत किया जाएगा जो मानक विशेषता वाली छत्ताधानियों का निर्माण करते हैं । प्रत्येक लाभग्राही को 20 छत्ताधानियों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी ।

8.48 मधुमक्खियों की आपूर्ति करते समय उन किसानों/ मधुमक्खी पालको को वरियता दी जाएगी जिन्होंने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया है ।

प्रदर्शनों/ अग्रपंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार

8.49 एक हैक्टर के संघन क्षेत्र में किसान सहभागिता प्रदर्शन के माध्यम से फसल विशिष्ट खेती, आई पी एम/ आई एन एम का प्रयोग, संरक्षित खेती, जैव–खेती के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा । इसे किसानों के खेतों में नीतिगत स्थलों में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए सहायता लागत की 75 प्रतिशत तक सीमित होगी । पादप–गृह खेती के लिए 500 वर्ग मीटर तक क्षेत्र सीमित रहेगा । सार्वजनिक क्षेत्र में फार्मों के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय अग्र पंक्ति प्रदर्शनों के स्थल हो सकते हैं जिसके लिए 100 प्रतिशत सहायता मुहैया की जाएगी ।

फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन

8.50 फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, संसाधन और पकाई तथा भंडारण शामिल हैं। ये सुविधाएं बागवानी उत्पादन की विपणनता को बढ़ाने, उत्पाद का मूल्यवर्धन, लाभप्रदता को बढ़ाने और हानियां कम करने के लिए आवश्यक हैं । बागवानी भंडारण, परिवहन, विपणन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग तथा निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधओं के एक नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी एम आई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) की मौजूदा स्कीमें अधिकतम संभावित सीमा तक उपयोग में लाई जाएंगी । इस संदर्भ में, विशिष्ट कार्यक्रम जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शुरू किए जाएंगे, उनमें पैक गृहों की स्थापना, पकाई कक्ष, शीत भंडारण यूनिटें, नियंत्रित वातावरण भंडारण, बंद गाड़ियों और चल प्रसंस्करण यूनिटें जिनमें बाजार होशियारी का समर्थन भी शमिल है । ये सभी परियोजनाएं वाणिज्यिक स्कीमों के माध्यम से उद्यमियों द्वारा चलाई जाएंगी, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत की दर से जमा से जुड़ी वापिसी आर्थिक सहायता तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 33.33 प्रतिशत की दर से होगी। राज्य सरकार की एजेंसियां भी ऐसी गतिविधियों के लिए उसी सीमा तक सहायता की पात्र होंगी। बाजार की होशियारी के लिए सहायता परियोजना आधारित होगी ।

बाजार के बुनियादी ढांचे का सृजन/ विकास

8.51 विपणन के कार्यक्रम भी परियोजना पर आधारित हैं । राज्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के बाद कार्यकारिणी समिति को परियोजना की व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी ।

8.52 इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य हैं (क) बागवानी कौमोडिटी के लिए विपणन के बुनियादी ढांचे के विकास में निजी और सहकारी क्षेत्रों से निवेश करवाना, (ख) थोक बाजार, ग्रामीण हाट्स सहित मौजूदा बागवानी बाजारों का सुदृढ़ीकरण; (ग) किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए फार्म/ बाजार स्तर पर बागवानी उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना; बाजार संबंधी कृषि क्रियाओं सहित ठेके पर कृषि के बारे में किसानों, उपभोक्ताओं, उद्यमियों और बाजार कार्यकर्ताओं के बीच सामान्य जानकारी तैयारकरना । स्कीम के अंतर्गत सहायता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर प्रदान की जाएंगी :

i. बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए नए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए और मौजूदा बागवानी बाजार जैसे थोकबाजार या ग्रामीण हाट्स के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत का @ 25 प्रतिशत क्रैडिट लिंग बैक एंडिड सब्सिडी/ पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में सब्सिडी की दर 33.33 प्रतिशत होगी ।

ii. इस स्कीम के प्रयोजन के लिए ''विपणन बुनियादी ढांचा'' में निम्नलिखित में से कोई शामिल होगाः

(क) संग्रहण/असैम्बलिंग, शुष्कन, सफाई, ग्रेडिंग और मानकीकरण, एस.पी.एस. मापदण्ड और गुणवत्ता प्रमाणिकरण, लेवालिंग, पैकेजिंग, परिपक्व चैम्बर्स, फुटकर और थोक बाजार, मूल्यवर्धन सुविधाओं के (उत्पाद का रूप परिवर्तित किए बगैर) लिए प्रायोगिक बुनियादी ढांचा ।

(ख) परियोजना क्षेत्र में उपभोक्ता के लिए सामान्य सुविधाएं जैसे दुकान/कार्यालय, लोडिंग/अन–लोडिंग/ असैम्बलिंग के लिए प्लेटफार्म और उत्पाद की नीलामी, पार्किंग स्थल, आंतरिक सड़कें, कूड़ा–करकट निपटान व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, स्वच्छता प्रबंध, वजन करने वाले और यांत्रिक रखरखाव के उपकरण ।

(ग) बागवानी उत्पाद के उत्पादक से उपभोक्ता/प्रसंस्करण यूनिट/थोक खरीददार तक प्रत्यक्ष विपणन के लिए बुनियादी ढांचा ।

(iii) बाजार स्थापित करने के लिए दी जा रही सहायता को बाजार सुधार के साथ जोड़ा जाए और उन राज्यों को वरीयता दी जाए जिन्होंने बागवानी में शामिल किसानों/समुदाय द्वारा वैकल्पिक विपणन सुविधाओं के लिए अपने राज्य कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम को संशोधित किया है ।

(iv) एकल व्यक्तियों, कृषक समुदाय उत्पादक/ उपभोक्ता, प्रतिभागिता/ प्रोराइटरी फर्म, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी दलों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन फैडरेशन, स्थानीय निकाय, कृषि उत्पाद बाजार समिति एवं विपणन बोर्ड तथा राज्य सरकारों के लिए सहायता उपलब्ध है ।

(v) बुनियादी ढांचे की परियोजना में भूमि की लागत को ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक तथा नगर निगम क्षेत्र में 20 प्रतिशत तक प्रतिबंधित रखा जाएगा । किसी प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि का अग्रिम अवधि के दौरान दूसरे प्रयोजन के लिए हस्तांतरित नहीं किया जाएगा । परियोजना का आकार आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक महत्व के आधार पर निश्चित किया जाए;

निर्यात को बढ़ावा देना

8.53 कृषि निर्यात क्षेत्रों जिसकी वैश्विक बाजार में क्षमता है उनके माध्यम से बागवानी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा । ई सी जी सी तथा सरकार के विचारार्थ विभिन्न बागवानी उत्पादों के निर्यात को सरल बनाने के लिए उचित कानूनी और प्रोत्साहन वाले उपायों की जांच के प्रयोजन से विशेष दल गठित किए जाएंगे । राज्य के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिशन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण को उचित सिफारिशें की जाएंगी ।

8.54 राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए राज्य मिशन प्राधिकरण द्वारा अपनी विपणन रणनीतियों को संशोधित किया जाएगा ये एजेंसियां नामतः राष्ट्रीय बागवानी

बोर्ड (एन.एच.बी.), विपणन एवं जांच निदेशालय, राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम (एन.सी.डी. सी.), आदिवासी सहकारी विपणन विकास फैडरेशन (ट्राईफेड) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) हैं । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विपणन एवं जाचं निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा लघु कृषक के एग्री–व्यापार संघ (एस. एफ.ए.सी.) की मौजूदा स्कीमों का अधिकतम संभावित सीमा तक उपयोग किया जाएगा ।

ठेके पर कृषि

8.55 बागवानी क्षेत्र में ठेके पर कृषि को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता हैः (1) बाजार–विशिष्टीकरण, (2) संसाधन प्रावधान, और (3) उत्पादन प्रबंध । बाजार मानीकरण अनुबंध पूर्व कटाई समझौता हैं जो फर्म और उत्पादकों को फसल की बिक्री अधिशासित शर्तों के विशिष्ट सैट के लिए बाध्य करता है । ये शर्तें मूल्य, गुणवत्ता और समय को निर्धारित करती हैं । संसाधन प्रावधान अनुबंध प्रोसैसर को फल आपूर्ति निवेश, विस्तार या बाजार समझौते के बदले में ऋण के लिए बाध्य होते हैं । उत्पादन प्रबंध अनुबंध किसानों को विशिष्ट उत्पादन विधि या निवेश प्रणाली का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं । सामान्य रूप में बाजार समझौते का संसाधन प्रावधान के बदले में विभिन्न संयोजनों में ये अनुबंध फर्म को उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रभावित करने की अनुमति देते हैं और स्वयं के रोपण कार्य को किए बगैर मिसिंग मार्किट के प्रति अनुक्रिया करते हैं । बागवानी के वाणिज्य क्षेत्र में ठेके पर कृषि की अवधारणा अभी भी पारंभिक काल में है और ठेके पर कृषि के लिए विभिन्न संगठनात्मक मॉडल हो सकते हैं अर्थात केन्द्रीकृत मॉडल, न्यूक्लीयस इस्टेट माडल, बहुभाजित मॉडल, अनौपचारिक या एकल विकसित मॉडल और इंटरमीडरी मॉडल । बागवानी फसलों के ठेके पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए एन एच एम के अंतर्गत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है । ठेके पर कृषि की यूनिट को समन्वित रूप में बागवानी निदेशालय/ कृषि/ एस एच एम के अंदर प्रत्येक राज्य

स्थापित किया जाएगा । विपणन के लिए सहायता के पैटर्न का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित दिया गया है :

क्र.सं.	मद	आकलित लागत	सहायता के मापदण्ड
1.	बाय बैक मध्यस्था	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
2.	सरकार/ निजी/ सहकारी क्षेत्र में बागवानी उत्पाद के लिए विपणन के बुनियादी ढांचे की स्थापना		सामान्य मामले में परियोजना की पूंजीगत लागत का @25 प्रतिशत कैडिट लिंग बैक एंडिड सब्सिडी और पर्वतीय तथा पिछड़े राज्यों के मामले में 33.33 प्रतिशत ।
(क)	थोक बाजार	रू0 100.00 करोड़ तक	परियोजना की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत
(ख)	ग्रामीण बाजार/ अपनी मंडी/ प्रत्यक्ष बाजार	रू0 15.00 लाख	परियोजना की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत
(ग)	संग्रहण, ग्रेडिंग आदि के लिए प्रायोगिक बुनियादी ढांचा	रू0 15.00 लाख	परियोजना की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत
(घ)	ताजे प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए विस्तार, गुणवत्ता जानकारी और बाजारोन्मुख प्रसार कार्यकलाप	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता

प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन

8.56 बागवानी उत्पाद का प्रसंस्करण ओर मूल्यवर्धन एक प्रमुख कार्यकलाप है जो अपनी चालू स्कीमों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा ।

सूक्ष्म सिंचाई

8.57 ड्रिप और छिड़काव सिंचाई बागवानी उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादकता सुधार के लिए एक जरूरी निवेश प्रदान करता है । इस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता सूक्ष्म सिंचाई की एक पृथक स्कीम के द्वारा प्रदान की जाएगी जिसके दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे ।

9. मिशन प्रबंध

9.1 बुनियादी ढांचे के लिए सहकारी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को सहायता

अपवाद के मामले के रूप में एन एच एम द्वारा बागवानी विकास, फसल कटाई के बाद का प्रबंध, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को राशि प्रदान की जाएगी ।

9.2 संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वाहन को किराए पर लेना/ खरीद

मिशन मुख्यालय को मानवशक्ति के साथ–साथ तकनीकी सेवाओं को किराए पर लेने, डाटाबेस का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, साफ्टवेयर का विकास और हार्डवेयर की खरीद, वाहन किराए पर लेने और यदि जरूरी हो तो इसकी खरीद, दैनिक कार्यों में सहायता के लिए कार्मिकों सहित ड्राइवर को ठेके पर लेने के साथ सुदृढ़ किया जाएगा ।

9.3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग

बागवानी के विकास के लिए कार्यक्रमों की शुरूआत के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे एफ ए ओ, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक आदि के साथ सहयोग के प्रयास किए जाएंगे । एफ ए ओ एक पक्षीय ट्रस्ट फंड है जिसके अंतर्गत मैनुअल रूप में सहमत निबंधन एवं शर्तों पर परियोजना परिचालन का प्रावधान है । यू टी एफ उपयोग सुकर कार्यकलापों के उपयोग के लिए किया जा सकता है जैसे रोपण सामग्री का आयात, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों को किराए पर लेना, शिक्षा दौरे आयोजित करना, एन एच एम के तत्वाधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोजना के लिए बजट प्रावधान के वार्षिक बजट में किया जाएगा ।

9.4 मूल्यांकन एवं अन्य अध्ययन

शर्त और मूल्यांकन संबंधी कार्य, दसवीं योजना के अंतग तक किया जाएगा । उचित एजंसियों को कार्य में लगाने के द्वारा सहयोगी मूल्यांकन किया जाएगा । इन अध्ययनों के लिए सहायता परियोजना आधार पर दी जाएगी । राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर लघु अवधि के अध्ययन आरंभ करेगा जो आवश्यकता और उभरती हुई जरूरतों पर आधारित होंगे । ये अध्ययन भी परियोजना आधारित होंगे । राष्ट्रीय मिशन द्वारा राज्यों में समय–समय पर निगरानी मिशन भेजे जाएंगे जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्हें एन एच बी में टी एस जी द्वारा आयोजित किया जाएगा ।

10. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) के अंतर्गत सर्वांगीण लक्ष्य

10.1 सैद्वांतिक रूप में मिशन को 11वीं योजना के अंत तक की स्वीकृति है । तथापि वार्षिक आबंटन सिर्फ 10वीं योजना के लिए स्वीकृत किया गया है । 11वीं योजना के दौरान, 10वीं योजना के शेष दो वर्षों के दौरान मिशन के राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित लक्ष्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं और 11वीं योजना के लिए व्यापक लक्ष्य

(क्षेत्र लाख हैक्टर में)

कार्यक्रम	**कुल (10वीं योजना)**	**11वीं योजना के दौरान**
सुधरी किस्मों के साथ	5.38	27.90
नवीकरण	1.10	15.0
समेकित कीटनाशी प्रबंध	6.0	21.0
नर्सरी	संख्या 790	संख्या 2040
पी एच एम बुनियादी ढांचा	संख्या 5096	संख्या 13010
बाजार	संख्या 490	संख्या 930

10.2 यद्यपि 11वीं योजना के कार्यक्रम अन्य घटकों, उद्देश्यों के लिए राशि की उपलब्धता आदि पर निर्भर होगा जिसे बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा । मिशन का सर्वांगीण लक्ष्य 11वीं योजना के अंत तक देश में बागवानी उत्पाद का उत्पादन 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का है ।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की संरचना और गठन*

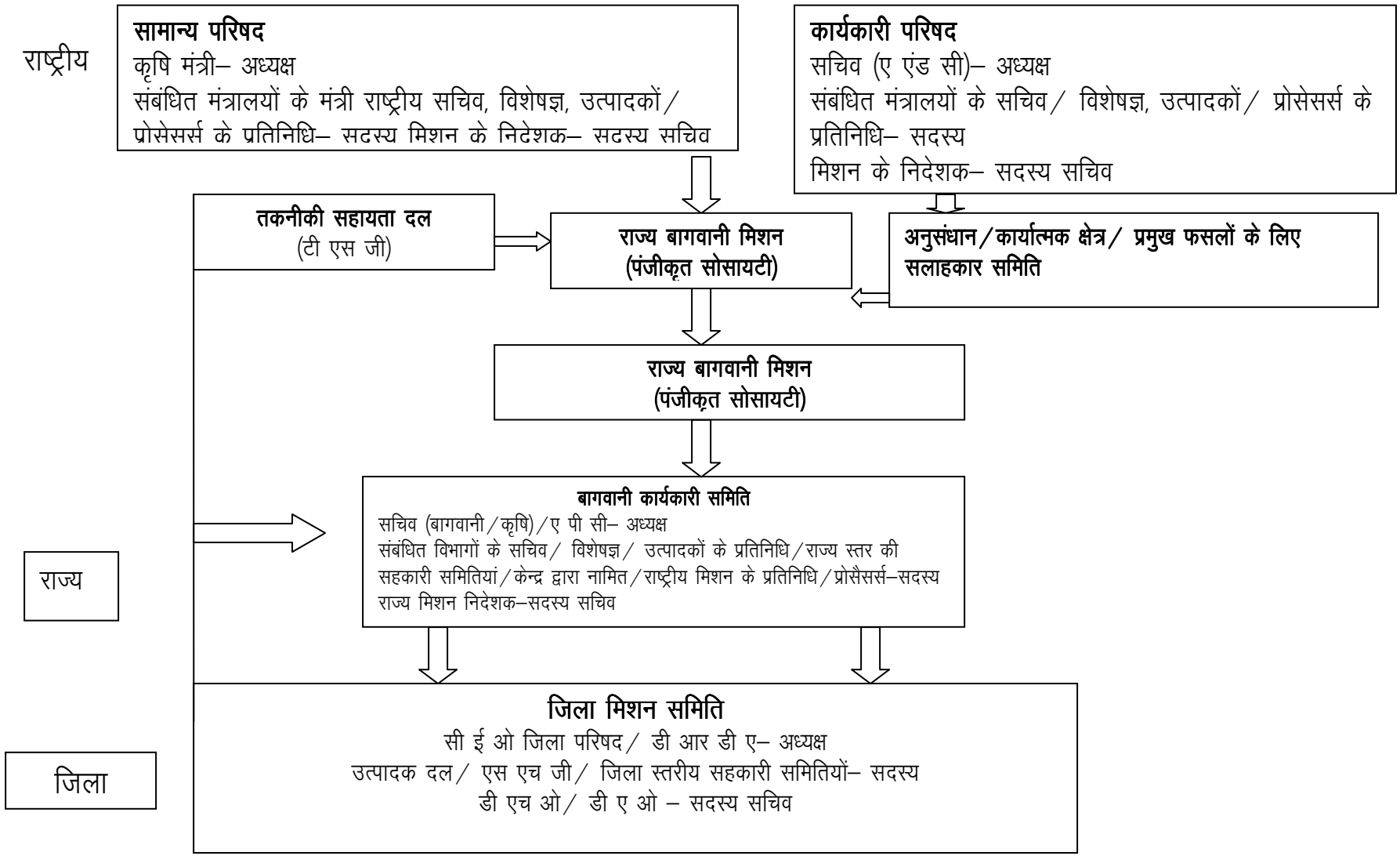

*उपरोक्त संरचना सांकेतिक है । राज्य और राज्य स्तर से नीचे संस्थागत प्रबंध में लचीलापन है और मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य को उपयुक्त माडल को अपनाने की अनुमति है अर्थात एन डी डी बी के पैटर्न, शामिल कंपनियों (खरीद के लिए कापरेटिव, प्रसंस्करण के लिए संयुक्त क्षेत्र तथा विपणन के लिए कोर्पोरेट) का मौजूदा संस्थान के अनुकूल मॉडल को अपनाया जा सकता है ।

अनुबंध–II

राज्य बागवानी मिशन द्वारा कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

राज्य का नाम :

कार्रवाई योजना का वर्ष – **2005–06**

सांकेतिक संक्षिप्त विवरण:

क्षेत्र, उतपादन तथा उत्पादकता (वर्ष 200 –) *

क्र.सं.	फसल	क्षेत्र (000 हैक्टर)	उत्पादन (000 टन)	उत्पादकता (टन/है.)
1.	फल			
2.	सब्जी			
3.	मसाले			
4.	पुष्प			
5.	औषधीय एवं सुगंधीय पौधे			
6.	खुम्बी			
7.	रोपण फसलें			
	कुल			

(* प्रथम वर्ष के लिए उपरोक्त सूचना मूल आंकड़े तैयार करेगी)

कार्रवाई योजना का संक्षिप्त विवरण:

वित्तीय

रू0 लाख में)

क्र. सं.	**कार्यकलाप**	**दिनांक 1.4.2005 को बकाया राशि**	**कार्रवाई योजना के अनुसार परिव्यय (2005–06)**	**कुल राशि का प्रतिशत**
1.	अनुसंधान			
2.	उत्पादन और उत्पादकता			
3.	फसल कटाई के बाद का प्रबंध			
4.	निगरानी/ टी एस जी			
	कुल			

फिजीकलः (प्रमुख निष्कर्षों का परिणाम) वर्ष के लिएः

क्र. सं.	कार्यकलाप	है0	क्रम सं0		संख्या
1.	शामिल अतिरिक्त क्षेत्र		6.	नई नर्सरियां	
2.	नवीकरण		7.	पी एच एम बुनियादी ढांचा	
3.	आई एन एम/ आई पी एम		8.	नए बाजार	
4.	संरक्षित कृषि				
5.	कार्बनिक कृषि				
	कुल			कुल	

अनुबंध–II (जारी)

विस्तृत कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

विवरण

1. पृष्ठभूमि संबंधी सूचना

1.1 भौगोलिक एवं मौसम संबंधी

1.2 बागवानी की क्षमता

1.3 उपलब्ध भूमि

1.4 एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण

2. परियोजना विवरण

2.1 उद्देश्य और इसकी रणनीति

2.2 **कार्यान्वयन एजेंसी का पता, फोन तथा ई–मेल आई डी**

2.3 वार्षिक कार्रवाई योजना के प्रमुख घटक

2.4 रोपण विकास के साथ सहायक बुनियादी ढांचा

2.5 फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा एवं प्रबंध

2.6 उत्पादन एवं रोपण सामग्री

2.7 नए उद्यानों की स्थापना

2.8 फल (बारहमासी)

2.9 गैर बारहमासी फल

2.10 मसाले, औषधीय एवं संगधीय पौधे

2.11 पुष्प

2.12 रोपण सहित तटीय बागवानी

2.13 जीर्न पेड़ों का नवीकरण/ प्रतिस्थापन

2.14 संरक्षित कृषि

2.15 आई एन एम/ आई पी एम को बढ़ावा

2.16 कार्बनिक कृषि

2.17 बागवानी में मानव संसाधन विकास

3. मिशन प्रबंध

4. अनुबंध

I. जिले का मानचित्र तैयार किया जाए जिसमें संभावित क्षमता वाली बैल्ट और मौजूदा बुनियादी सुविधाओं जैसे नर्सरी, टी सी यूनिट शीत भंडारण, प्रसंस्करण यूनिट आदि का स्थान दर्शाया जाए और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के स्थान को भी दर्शाया जाए ।

अनुबंध–III

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए सहायता के मापदण्ड

क्रम सं0	कार्यक्रम	आकलित लागत	प्रस्तावित सहायता
क.	अनुसंधान		भा.कृ.अ.प., सी एस आई आर के अंतर्गत आने वाले केन्द्र सरकार के संस्थान अपने स्वयं के बजट से अनुसंधान एवं विकास कार्य आरंभ करेंगे जिसके लिए एक अनुसंधान सलाहकार समिति अनुसंधान के प्रबलित क्षेत्रों की पहचान करेगी।
ख. रोपण संबंधी बुनियादी ढांचा और विकास			
1.	रोपण सामग्री का अध्ययन		
	क) सार्वजनिक क्षेत्र		
	i. माडल नर्सरी (4 है0)	रू0 18.00 लाख/है0	अधिकतम रू0 18.00 लाख प्रति यूनिट
	ii. छोटी नर्सरी (1 है0)	रू0 3.00 लाख प्रति यूनिट	अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति यूनिट
	iii. मौजूदा ऊत्तक संवर्धन प्रति यूनिट का पुनर्वास	रू0 8.00 लाख/ यूनिट	अधिकतम रू0 8.00 लाख प्रति यूनिट
	iv. टी सी प्रयोगशाला और रा.कृ.वि.में संबंधित यूनिटों का पुनर्वास	रू0 8.00 लाख/ यूनिट	अधिकतम रू0 8.00 लाख प्रति यूनिट
	ख. निजी क्षेत्र		कैडिट लिंक बैंक एंडिड सब्सिडी
	i.माडल नर्सरी(4 है0)	रू0 18.00 लाख/ यूनिट	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 9 लाख/नर्सरी तक सीमित
	ii. नर्सरी (1 है0)	रू0 3.00 लाख/ यूनिट	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1. 5 लाख/नर्सरी तक सीमित
	iii. मौजूदा ऊतक संवर्धन यूनिटों का पुनर्वास	रू0 8.00 लाख/ यूनिट	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 4 लाख/यूनिट तक सीमित
	iv. सब्जी बीज उत्पादन		
	(क) सार्वजनिक क्षेत्र (भा.	रू0 50,000 प्रति	कुल लागत का 100 प्रतिशत

	कृ.अ.प., रा.कृ.वि. एवं राज्य सरकार के विभाग)	हैक्टर	
	(ख) निजी क्षेत्र	रू0 50,000 प्रति हैक्टर	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 25,000/ है0 तक तथा क्रैडिट लिंक बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में 5 हैक्टर तक सीमित
	v. बीज का बुनियादी ढांचा		
	क) सार्वजनिक क्षेत्र	परियोजना आधारित	लागत का 100 प्रतिशत
	ख) निजी क्षेत्र	परियोजना आधारित	लागत का 25 प्रतिशत क्रैडिट बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में
2. नए उद्यानों की स्थापना (हैक्टर)			
	i. फल (बारहमासी)	रू0 30,000/ है0	लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 22500/ है0 जो 4 है0 ,पति लाभकर्ता तक सीमित है । इसे 50:20:30 के रूप में 3 किश्तों में दिया जाएगा बशर्ते कि जीवित रहने की दर दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत हो ।
	ii. फल (गैर बारहमासी)	रू0 30,000 प्रति है0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15000/ है0 जो 4 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित है । इसे 50:20:30 के रूप में 3 किश्तों में दिया जाएगा बशर्ते कि जीवित रहने की दर दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत हो ।
	iii. पुष्प		
	(क) कटे हुए फूल	रू0 70,000/है0	
	क. छोटे और सीमांत किसान		लागत का 50 प्रतिशत अधिकत @रू0 35,000/है0 2 है0 प्रति लाभकर्ता
	ख. अन्य किसान		लागत का 33 प्रतिशत अधिकत @रू0 23,100/है0 4 है0 प्रति लाभकर्ता
	(ख) गोल कंदाकार	90,000/है0	
	क. छोटे और सीमांत किसान		लागत का 50 प्रतिशत अधिकत @रू0 45,000/है0 2 है0 प्रति लाभकर्ता

	ख. अन्य किसान		लागत का 33 प्रतिशत अधिकत @रू0 29,700/है0 4 है0 प्रति लाभकर्ता
	(ग) खुले हुए फूल	**रू0 24,000/है0**	
	(क) छोटे और सीमांत किसान		लागत का 50 प्रतिशत अधिकत @रू0 12,000/है0 2 है0 प्रति लाभकर्ता
	ख. अन्य किसान		लागत का 33 प्रतिशत अधिकत @रू0 7920/है0 4 है0 प्रति लाभकर्ता
	iv. मसाले, संगधीय पौधे	रू0 15,000/ है0 (औसत)	लागत का 75 प्रतिशत अधिकत @रू0 11250/है0 4 है0 प्रति लाभकर्ता
	v. रोपण फसलों सहित तटवर्ती बागवानी	रू0 15,000/ है0 (औसत)	लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 11,250/ है0 जो 4 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित है । इसके 50:20:30 के रूप में 3 किश्तों में दिया जाएगा बशर्ते जीवित रहने की दर दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 90 पतिशत हो ।
3	**जीर्ण पेड़ों का नवीकरण/ प्रतिस्थापन**	रू0 30,000/ है0 (औसत)	लागत का 50 प्रतिशत अधिकत @रू0 15,000/है0 2 है0 प्रति लाभकर्ता
4.	**जल संसाधन स्रोतों का निर्माण**		
	समुदाय टैंक, फार्म फंड, फार्म जलाशय (संख्या) के साथ प्लास्टिक उपयोग 100 प्रतिशत सहायता	रू0 10.00 लाख/यूनिट	10 है0 के रू0 10 लाख/ यूनिट तक
5.	**संरक्षित कृषि**		
	1. ग्रीन हाउस (हैचरी)		
	क. छोटे और सीमांत किसान	रू0 650/स्का.मी. हाईटैक के लिए रू0 250/स्का.मी. सामान्य	हाईटैक ग्रीन हाउस के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 325/स्का.मी. तक तथा सामान्य जी.

		के लिए	एम. के लिए रू0 125/ स्का.मी. प्रति लाभकर्ता अधिकतम 1000 स्का.मी. तक
	क. छोटे किसान	रू0 650/स्का.मी. हाईटैक के लिए रू0 250/स्का.मी. सामान्य के लिए	हाईटैक ग्रीन हाउस के लिए लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 215/स्का.मी. तक तथा सामान्य के लिए रू0 67/ स्का.मी. प्रति लाभकर्ता अधिकतम 1000 स्का.मी. तक
	2. पलवार	रू0 14,000/ है0	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 7000/है0 जो 2 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित है ।
	3. शेड नैट	रू0 14/स्का.मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 3500/500 स्का.मी. जो 2 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित है ।
	4. प्लास्टिक टेनल	रू0 10/स्का.मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5000/1000 स्का.मी. जो 5 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित है ।
6.	**उत्कृष्ट कृषि का विकास एवं पी एफ डी सी के माध्यम से इसका प्रसार**	परियोजना आधारित	पी एफ डी सी की लागत का 100 प्रतिशत
7.	**आई एन एम/ आई पी एम को बढ़ावा देना**		
	i. स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (सार्वजनिक क्षेत्र)	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
	ii. आई पी एम को बढ़ावा देना	रू0 2000/ है0	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1000/है0 जो 4 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित है ।
	iii. रोग पूर्वानुमान यूनिट	रू0 4 लाख/यूनिट	रू0 4 लाख/ यूनिट तक
	iv. जैव नियंत्रण प्रयोगशाला	रू0 80 लाख/ यूनिट	
	क) सार्वजनिक क्षेत्र		रू0 80 लाख/ यूनिट तक
	ख) निजी क्षेत्र		रू0 40 लाख/ यूनिट तक क्रेडिट

			लिंक्ड बैक एंडिड सब्सिडी
	v. पादप स्वास्थ्य क्लीनिक	रू0 20 लाख/यूनिट	
	क) सार्वजनिक क्षेत्र		रू0 20 लाख/ यूनिट तक
	ख) निजी क्षेत्र		रू0 10 लाख/ यूनिट तक क्रैडिट लिंक्ड बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में
	vi. पत्ता/ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं	रू0 20 लाख/ यूनिट	
	क) सार्वजनिक क्षेत्र		रू0 20 लाख/ यूनिट तक
	ख) निजी क्षेत्र		रू0 10 लाख/ यूनिट तक क्रैडिट लिंक्ड बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में
8.	**कार्बनिक कृषि**		
	1. कार्बनिक कृषि का अंगीकरण	रू0 20,000 /है0	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10,000/है0 जो 4 है0 प्रति लाभकर्ता तक सीमित है ।
	2. कृषि अपशिष्ट यूनिट	रू0 60,000/ यूनिट	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 30,000/यूनिट
	3. प्रमाणीकरण	परियोजना आधारित	50 है0 के कलस्टर में रू0 5 लाख
9.	**मानव संसाधन विकास के साथ बागवानी संस्थान**	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता
10.	**मधुमक्खी पालन द्वारा परागण सहायता**	रू0 1600 प्रति कालोनी छत्ताधानी के साथ	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 800/कालोनी के साथ मधुमक्खी का छत्ता
11.	**प्रदर्शन/अग्रपंक्ति प्रदर्शन द्वारा प्रौद्योगिकी प्रसार**	परियोजना आधारित	लागत का 75 प्रतिशत
ग. फसल कटाई के बाद प्रबंध			
	1. पैक हाउस	रू0 2.50 लाख/यूनिट	सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पूंजीगत

			लागत की @ 25 प्रतिशत कैडिट लिंक्ड बैक एंडिड सबिसडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय ओर आदिवासी क्षेत्रों के मामले में ।
	2. शीत भंडारण यूनिट	रू0 2.00 करोड़/ यूनिट	–वही–
	3. सी ए भंडारण	रू0 16.00 करोड़/यूनिट	–वही–
	4. रैफ. वैनस/कंटेनर्स	रू0 24.00 लाख/यूनिट	–वही–
	5. मोबाइल प्रसंस्करण यूनिट	रू0 24.00 लाख/यूनिट	–वही–
	6. बाजार आसूचना	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
	7. बाय–बैक मध्यस्था	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
	8. सरकारी/निजी/ सहकारी क्षेत्र में बागवानी उत्पादों के लिए विपणन के बुनियादी ढांचे की स्थापना		सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पूंजीगत लागत की @ 25 प्रतिशत कैडिट लिंक्ड बैक एंडिड सबिसडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय ओर आदिवासी क्षेत्रों के मामले में ।
	क) थोक बाजार	रू0 100.00 करोड़ तक	–वही–
	ख) ग्रामीण बाजार/ अपनी मंडी/ प्रत्यक्ष बाजार	रू0 15.00 लाख	–वही–
	ग) संग्रहण, ग्रेडिंग आदि के लिए प्रायोगिक बुनियादी ढांचा	परियोजना आधारित	–वही–
	घ. ताजे प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए प्रसार, गुणवत्ता जानकारी तथा बाजारोन्मुख प्रसार कार्यकलाप	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता
घ.	**प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन**		एम एफ पी आई द्वारा स्वयं अपने

			बजट प्रावधानों में से खाद्य प्रसंस्करण पर परियोजना स्वीकृत की जाएगी ।
ङ.	**मिशन प्रबंध**		
	(i) राज्य एवं जिला मिशन संरचना के साथ अतिरिक्त मानव शक्ति और परियोजना तैयार करने की लागत		आकलित जरूरत के आधार पर कुल वार्षिक व्यय का 5 प्रतिशत
	(ii) बुनियादी ढांचे की जरूरत के लिए सहकारी समितियों को सहायता		परियोजना आधारित
	(iii) संस्थागत सृदृढ़ीकरण, वाहनों को किराए पर लेना/ खरीदना, हार्डवेयर/ साफ्टवेयर		परियोजना आधारित
	(iv) तकनीकी सहायता दल (टी एस जी)		परियोजना आधारित अधिकतम सीमा रू0 5 करोड़ प्रति वर्ष
	(v) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग जैसे एफ.ए.ओ., विश्व बैंक आदि		परियोजना आधारित

अनुबंध–IV

चयनित फल संबंधी फसलों के क्षेत्र प्रसार की सांकेतिक लागत प्रति है0

(रूपये में)

फसल	दूरी (मीटर)	पादपों की संख्या	रोपण सामग्री की लागत (पौद लगाना)	उर्वरक/कीटनाशी और अन्य निवेश की लागत	कुल
सेब	06x06	277	13,850	25,000	38,850
आम	10x10	100	7000	14,000	21,000
अंगूर	05x05	360	7200	36800	44,000
अंगूर	04x04	625	12500	80,000	92,500
स्ट्राबेरी	01x01	10,000	40,000	40,000	80,000
लीची	10x10	100	7000	14,000	21,000
नीबूवर्गीय					
क) नागपुरी संतरे	06x06	277	8310	20,000	28,310
ख) मौसमी	06x06	277	7756	18,000	25,756
चीकू	10x10	100	6700	14,000	24,700
अमरूद	10x10	100	3000	10,000	13,000
अनार	05x05	400	8000	10,000	18,000
आंवला	07x07	200	7000	10,000	17,000
बेर	07x07	200	7000	8,000	15,000
	05x05	400	14000	10,000	24,000